महामहिम राज्यपाल

प्रोफेसर देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय का अभिभाषण

16 मार्च, 1990

माननीय सदस्यगण,

नवम् विधान सभा के पहले सत्र को सम्बोधित करते हुए मुझे अत्यन्त हर्ष है। माननीय सदस्यों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ।

2. पिछले चार महीनों में जनता ने दो बार स्पष्ट जनादेश देकर प्रदेश का राजनैतिक परिदृश्य बदल दिया है। पहले केन्द्र में तथा बाद में प्रदेश में सरकार बदल कर उसने सत्ता परिवर्तन की अपनी इच्छा की स्पष्ट अभिव्यक्ति की है। जनता द्वारा किया गया यह परिवर्तन नई व्यवस्था एवं मूल्यों का परिवर्तन है। इस परिवर्तन से देश में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई हैं। जहां इससे जनता में नया विश्वास व नई आकांक्षाएँ जगी हैं, वहीं सरकार का यह विशेष उत्तरदायित्व बना है कि वह जनता की इन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कारगर कदम उठाये। मेरी सरकार आपसी सामंजस्य एवं सहमति की प्रक्रिया अपनाकर इस जिम्मेदारी को पूर्णरूप से निभाने के लिए वचनबद्ध है।

3. लम्बे समय तक सत्ता पर किसी राजनैतिक दल का एकाधिकार, प्रशासन में निरंकुशता, भ्रष्टाचार, जनहितों के प्रति उदासीनता व भाई-भतीजावाद फैलाता है। पिछले दस वर्षों में प्रदेश के प्रशासन में गिरावट आई है, भ्रष्टाचार बढ़ा है। फिजूलखर्ची व वित्तीय साधनों के अपव्यय के कारण अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान में विकास विनियोग कम हुआ है जिसके फलस्वरूप प्रदेश में विकास की गति धीमी हुई है। प्रशासन की जनता के प्रति जवाबदेही समाप्त-सी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी व जनता दल को प्रदेश की जनता ने विधान सभा में दो तिहाई बहुमत दिया है, वह प्रदेश का तेजी से विकास करने व स्वच्छ प्रशासन देने का जनादेश है। सरकार की रीति-नीति की यही दिशा होगी।

4. पिछले दस वर्षों में जनता और प्रशासन के बीच एक खाई पैदा हो गई थी। जनतंत्र में शासक वर्ग व शासित वर्ग अलग-अलग नहीं होता, जनता ही शासन प्रबन्ध एवं व्यवस्था के लिये अपने प्रतिनिधि चुनती है जो प्रशासन को दिशा देकर उससे जन आंकाक्षाओं के अनुसार कार्य करवाते हैं। यदि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि अपने को शासक समझने लगें तो उससे प्रशासन में निरंकुशता पनपती है और इससे जनता व सरकार के बीच दूरी बढ़ जाती है। सरकार एक वर्ग विशेष की बनकर रह जाती है। मेरी सरकार का लगातार यह प्रयास होगा कि सरकार

व जनता के बीच खाई पैदा न हो। व्यापक सहमति से विभिन्न जन समस्याओं का हल किया जाये। नीतियों के निर्धारण व कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में जनता की भागीदारी हो। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार व जनता के बीच निकट सम्पर्क तथा विचारों का आदान प्रदान होना आवश्यक है। सरकार के कार्य में जनता की भागीदारी स्थापित करना सरकार का कर्त्तव्य है। इस कर्त्तव्य के निवर्हन के लिए सरकार कृत संकल्प है। इस भागीदारी के आधार पर ही सरकार की नीतियाँ बनेंगी, इसके लिये नीति निर्धारण के वर्तमान ढाँचे में आवश्यक परिवर्तन किये जायेंगे।

5. पिछले वर्षों में सार्वजनिक कोष का जिस बेदर्दी से दुरुपयोग हुआ है उससे राज्य की वित्त व्यवस्था चरमरा गई है। इस चरमराती वित्त व्यवस्था को ठीक करने की भारी जिम्मेदारी नई सरकार पर आ गई है और वह इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। चुनाव के पूर्व के दो महीनों में पिछली सरकार ने हड़बड़ी में जो फैसले किये वे जनहित के स्थान पर दलहित की भावना से प्रेरित थे। सरकार ऐसे सभी फैसलों पर पुनर्विचार करेगी।

6. जनतांत्रिक संस्थाओं के समय पर चुनाव होने आवश्यक हैं। नगरपालिकाओं, नगर परिषदों व कृषि उपज मण्डियों के चुनाव पिछले कई वर्षों से नहीं कराये गये हैं। जन प्रतिनिधियों के स्थान पर प्रशासक लगाकर इन स्थानीय संस्थाओं को सरकार के विभागों के रूप में चलाया गया है, जो नितान्त अनुचित है। नई सरकार द्वारा नगरपालिका वार्डों के पुनर्सीमन की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। इन सभी संस्थाओं के चुनाव शीघ्रातिशीघ्र कराये जायेंगे। इसी प्रकार सहकारी संस्थाओं के चुनाव भी समय पर कराये जायेंगे।

7. जनता, प्रशासन से निष्पक्ष व्यवहार व न्याय की अपेक्षा करती है। राजनैतिक इच्छा की कमी के कारण प्रशासन जनहित के प्रति उदासीनता बरतने लगता है। गलत आचरण करने वाले तत्व हावी हो जाते हैं। सही कार्य भी समय पर करवाने के लिए जनता को मिन्नतें करनी पड़ती हैं। वर्तमान सरकार की पहली प्राथमिकता प्रदेश को संवेदनशील व ईमानदार प्रशासन देने की है। मुख्य मंत्री श्री भैरोंसिंह शेखावत के सुझाव पर मुख्य मंत्री के आचरण को लोकायुक्त कानून के अन्तर्गत लाने का निर्णय सरकार ने लिया है। कानून में इस आशय का संशोधन किया जायेगा। प्रशासन में ईमानदारी का वातावरण बनाने के लिए यह एक महत्त्वपूर्ण शुरुआत है। शीर्ष स्थानों पर बैठे व्यक्तियों का यह दायित्व है कि वे स्वयं ईमानदारी बरतें तभी वे दूसरों को सही आचरण के लिए प्रेरित कर पायेंगे तथा गलत काम करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कर सकेंगे।

8. सरकार द्वारा उन सभी प्रशासनिक व्यवस्थाओं का पुनरावलोकन किया जायेगा जिनके कारण भ्रष्टाचार पनपता है। भ्रष्टाचार उन्मूलन की वर्तमान व्यवस्थाओं को अधिक कारगर बनाया जायेगा। कई कामों के लिये अकारण ही जनता को बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं इसके निराकरण के लिए विभिन्न विभागों में कार्य निपटाने की वर्तमान व्यवस्था का अध्ययन कर उसमें प्रक्रिया सम्बन्धी सुधार किये जायें ताकि राजकाज तेजी से निबटे। जनता

शासन ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में घर बैठे न्याय देने, प्रशासन को ग्रामोन्मुखी बनाने तथा खुली प्रशासनिक व्यवस्था देने के लिये 1977 में सर्वप्रथम राजस्व अभियान चलाया था। अब पुनः सरकार गाँवों में शिविर लगाकर ग्रामीण जनता की विभिन्न समस्याओं को हल करेगी। ऋण लेने वालों को फार्म भरते समय विभिन्न प्रकार के प्रमाण-पत्रों को प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई होती है। सरकार ऋण शिविरों को आयोजित करके इस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि एक ही जगह पर ऋण लेने वालों को सभी प्रकार के प्रमाण-पत्र मिल जायें।

9. सरकार की दूसरी बड़ी प्राथमिकता प्रदेश में साम्प्रदायिक सद्भाव व अमन चैन स्थापित करने की होगी। पिछले वर्ष प्रदेश में कई स्थानों पर साम्प्रदायिक दंगे हुए। प्रच्छन्न रूप से निहित स्वार्थों ने तनाव पैदा कर साम्प्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की चेष्टा की। दंगों पर समय पर काबू नहीं किये जाने के फलस्वरूप बीगोद, मकराना, कोटा व जयपुर में व्यापक आगजनी व हिंसा हुई। सरकार सभी वर्गों को, चाहे वे अल्पसंख्यक हों या बहुसंख्यक, आवश्यक सुरक्षा प्रदान करेगी। दंगा करने व अशान्ति फैलाने वाले तत्वों से सरकार सख्ती से निपटेगी। सरकार की गतिविधियों पर सभी धर्मों व सम्प्रदायों के व्यक्तियों का बराबर हक है। सभी को सरकार से न्याय की अपेक्षा है। सभी व्यक्ति निष्पक्ष निर्णयों के हकदार हैं। अपराधी तत्वों को संरक्षण देने के कारण स्थानीय स्तर पर समाज कंटकों का आतंक पनपता है जिससे आम आदमी को त्रास व घुटन की जिन्दगी जीनी पड़ती है। मेरी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रदेश में साम्प्रदायिक विद्वेष को लेकर लोगों में कटुता न पनपे और सभी लोग परस्पर मिलजुल कर शांति से रह सकें।

10. इसी प्रकार दस्यु प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए एक विशेष कार्यक्रम बनाया जायेगा ताकि इन क्षेत्रों में जनजीवन सुरक्षित रह सके और स्थानीय संभावनाओं के आधार पर तेजी से विकास हो सके। पुलिस व्यवस्था में सुधार करना सरकार के समक्ष एक बड़ी चुनौती है। सरकार का यह प्रयास होगा कि पुलिस व प्रशासन के हाथों जनता को सामाजिक सुरक्षा व न्याय मिले। सरकार सर्वधर्म-समभाव व 'बहुजन-हिताय, बहुजन-सुखाय' की भावना से जनहित के लिये कार्य करेगी।

11. राजस्थान एक साधन सम्पन्न किन्तु पिछड़ा प्रदेश है। यहां के लोगों की कठिन मेहनत करने तथा जोखिम लेने की क्षमता सारे देश में विख्यात है। देश के विभिन्न हिस्सों में प्रवासी राजस्थानी उद्यमियों द्वारा लगाये गये उद्योग इस बात की पुष्टि करते हैं। विस्तृत भू-भाग, उन्नत पशुधन, विपुल खनिज सम्पदा, उपजाऊ अन्नपूर्णा धरती, प्राकृतिक विविधताएँ व मनमोहक हस्तकलाएँ हमारे विकास के आधार स्तम्भ हैं। यह राजस्थान की त्रासदी है कि विपुल सम्भावनाओं के बावजूद आज भी राजस्थान की गिनती देश के पिछड़े प्रदेशों में होती है। शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, बिजली, उद्योग, सड़कें, सिंचाई व कृषि आदि सभी क्षेत्रों में हमारी गिनती देश के अन्तिम चार-पाँच राज्यों में की जाती है। प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से 1970-

71 में राजस्थान का देश के 17 बड़े राज्यों में छठा स्थान था। पिछली सरकार की गलत नीतियों के कारण अब राजस्थान विकास की दृष्टि से नीचे गिरकर दसवें स्थान पर पहुँच गया है। इस प्रकार की विकास व्यवस्था व विकास संरचना में परिवर्तन आवश्यक है। सरकार की यह कोशिश होगी कि व्यापक सहमति से योजनागत प्राथमिकताओं व कार्यक्रमों का पुन: निर्धारण किया जाये ताकि विकास योजनाओं में लगने वाली धनराशि का प्रदेश को अधिक-से-अधिक लाभ मिले। जिन प्रवृत्तियों में कम विनियोग से अधिक लाभ मिल सकता है उन प्रवृत्तियों में विनियोग बढ़ाया जायेगा। स्थानीय प्राथमिकताओं व सम्भावनाओं को देखते हुए विकास योजनायें बनाई जायेंगी। सामाजिक तथा आर्थिक लाभ का सामंजस्य बिठाकर योजनाओं का निर्माण व क्रियान्वयन किया जायेगा। प्रदेश के आर्थिक विकास के बारे में सरकार एक श्वेत-पत्र आपके विचारार्थ प्रस्तुत करेगी।

12. खेती पर पूरा ध्यान नहीं देने के कारण पिछले वर्षों में प्रदेश में किसानों की स्थिति बिगड़ी है। उन्हें समय पर खाद, बीज, फसली ऋण नहीं मिल पाता है। बिजली की कमी की परेशानी तो है ही। राज्य के आधे से अधिक जिलों में आज प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन का स्तर पहले से गिरा है। इन जिलों में खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि जनसंख्या वृद्धि की दर से कम है और इस कारण वहां उत्तरोत्तर खाद्यान्नों की कमी पड़ती जा रही है। इन जिलों में कृषि विकास की धीमी गति से उत्पन्न गरीबी को हर हालत में हमें रोकना होगा।

13. सरकार सिंचाई कार्य के लिए भू-जल के दोहन पर विशेष ध्यान देगी। कुए खोदने के इच्छुक किसानों को वैज्ञानिक पद्धति से भू-जल स्रोतों की जानकारी दी जायेगी। नये कुओं के लिए एक बीमा व्यवस्था लागू करने पर विचार किया जायेगा ताकि जिस किसान के कुए में पर्याप्त पानी नहीं आये, उसके द्वारा खर्च की गई राशि का बीमे के आधार पर सरकार द्वारा पुनर्भरण किया जा सके। इसी प्रकार रेगिस्तानी क्षेत्रों में वर्षा के पानी का संरक्षण कर उन्नत बारानी खेती का एक विशेष कार्यक्रम चलाया जायेगा। कृषि उत्पादन की विशेष संभावना वाली पंचायत समितियों में पृथक् से सघन कृषि विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किया जायेगा। गाँव के अन्य किसानों को नेतृत्व दे सकने वाले प्रगतिशील किसानों के लिये विशेष प्रशिक्षण का आयोजन किया जायेगा। प्रत्येक गाँव, विकास खंड व जिले में किसानों की समस्याओं का अध्ययन कर उनकी सलाह से सहभागी कृषि विकास योजना चलाई जायेगी। फसल बोने के एक माह पूर्व यथेष्ट मात्रा में बीज सभी क्षेत्रों में पहुँचाने की व्यवस्था की जायेगी। रासायनिक खाद व बीज किसानों को आसानी से उपलब्ध कराने के लिए खाद व बीज विक्रय के अतिरिक्त केन्द्र खोले जायेंगे तथा विद्यमान खाद विक्रेता लाइसेंस प्रथा में सुधार किया जायेगा। किसानों के ऋण माफ करने के बारे में केन्द्रीय सरकार से परामर्श किया जा रहा है। सरकार इस बारे में आवश्यक कार्यवाही शीघ्र करने को प्रतिबद्ध हैं। ऋण माफी देशव्यापी प्रश्न है, अत: इसकी क्या प्रक्रिया होगी इसका निर्णय केन्द्र सरकार के परामर्श से किया जायेगा, इससे छोटे किसानों को राहत मिलेगी। फल विकास, रेशम, कीट पालन व सोयाबीन की खेती पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

14. कृषि के साथ ही पशुपालन प्रदेश की प्रमुख आर्थिक प्रवृत्ति है। अब तक पशु चिकित्सा सुविधायें बढ़ाने पर ही जोर दिया जाता रहा है। अब सरकार पशु नस्ल के सुधार पर विशेष ध्यान देगी और इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु कृत्रिम गर्भाधान के लिए 'गोपाल' नाम से एक विशेष योजना प्रारम्भ करेगी।

15. देश का 40 प्रतिशत से भी अधिक ऊन का उत्पादन राजस्थान में होता है। फिर भी प्रदेश में ऊन उद्योग का समुचित विकास नहीं हुआ है। ऊन उद्योग के विकास हेतु सरकार समुचित कार्यवाही करेगी। मत्स्य पालन कार्यक्रम की समीक्षा की जायेगी तथा उसमें आवश्यक सुधार किये जायेंगे। कृषि विकास को सरकार विशेष महत्त्व देगी और अपने बजट का 60 प्रतिशत भाग कृषि व ग्रामीण विकास पर खर्च करेगी।

16. राजस्थान में पानी की कमी है। कम वर्षा होने के कारण प्रदेश में भू-जल स्तर गिर गया है। कई जिलों में भू-जल का अत्यधिक दोहन होने से भविष्य में पेयजल के लिए भू-जल दोहन की संभावनाएँ समाप्त-सी हो गई हैं। अत: सरकार प्रदेश के जल संसाधनों के समन्वित विकास व उपयोग के बारे में व्यापक सहमति से एक नीति बनायेगी। इस नीति से भू-गर्भ जल के दोहन, फव्वारा (स्प्रिंकलर) खेती व बून्द-बून्द सिंचाई द्वारा उपलब्ध जल के कुशल उपयोग, खेतों में ही वर्षा के पानी के संरक्षण द्वारा शुष्क खेती, जल बजट आदि का समावेश किया जायेगा। पानी के सही व अधिकतम उपयोग की बात हमारे अस्तित्व से जुड़ी हुई है। प्रदेश की जनता का भविष्य भी इस बात पर निर्भर है। पिछली सरकार नदी जल के अन्तर्राज्यीय विवादों में राज्य के हितों को सुरक्षित नहीं रख पाई थी। पिछली सरकार ने इस बारे में केन्द्रीय सरकार व अन्य राज्यों से प्रदेश के हितों की उपेक्षा कर जो करार किये हैं उससे नई सरकार के समक्ष उलझनें पैदा हो गई हैं। वर्तमान सरकार ऐसे विवादों में प्रभावी रूप से राजस्थान के हितों की रक्षा करेगी। इस कर्त्तव्य निर्वहन करने में वह किसी भी प्रकार के दबाव के सामने नहीं झुकेगी।

17. करोड़ों रुपये खर्च करने पर भी प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज भी पीने के पानी का संकट है। पेयजल के अब तक किये गये प्रयासों की समीक्षा की जाकर पारम्परिक, विकेन्द्रित व क्षेत्रीय पेयजल योजनाओं की प्राथमिकताएँ तय की जायेंगी। पेयजल के समस्या के समाधान में जनता की भागीदारी स्थापित करने का भी प्रयास किया जायेगा।

18, आज प्रदेश में बिजली की भारी कमी है। इससे प्रदेश के किसानों व उद्यमियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विद्युत उत्पादन बढ़ाये बिना प्रदेश में गहराते विद्युत संकट को दूर नहीं किया जा सकता। सरकार द्वारा विद्युत उत्पादन बढ़ाने को प्राथमिकता दी जायेगी। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित धौलपुर, सूरतगढ़ व मांडलगढ़ ताप विद्युत परियोजनायें भारत सरकार में अटकी पड़ी हैं। कारगर ढंग से पैरवी नहीं किये जाने के कारण पिछली सरकारें इन्हें मंजूर नहीं करा पाई थी। ऐसा ही हाल पलाना लिग्नाइट योजना का है। यदि यही हालत रही तो आठवीं योजना के अन्त तक बिजली की मांग व सप्लाई का अन्तर बढ़कर 35 प्रतिशत हो

जायेगा। राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार, केन्द्रीय ऊर्जा आयोग व योजना आयोग से वार्ता इन योजनाओं को स्वीकृत कराया जायेगा। अन्तर्राज्यीय योजनाओं तथा केन्द्रीय योजनाओं भी अतिरिक्त बिजली लेकर विद्युत आपूर्ति बढ़ाने की चेष्टा की जायेगी। निजी क्षेत्र में बिजली उत्पादन के लिए भी प्रयास किये जायेगें। किसानों को बिजली कनेक्शन देने में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये कनेक्शन देने की वर्तमान व्यवस्था में सुधार किया जायेगा। इसी प्रकार बिजली की चोरी व बिजली के अपव्यय की कारगर रोकथाम तथा विद्युत मण्डल की अन्य व्यवस्थाओं में भी सुधार लाया जायेगा।

19. नगरीय क्षेत्रों में आबादी बढ़ने के कारण नगरीय विकास व आवासन की समस्या पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण पिछली कांग्रेसी सरकारों ने कृषि भूमि के किस्म परिवर्तन के कार्य को उलझाया और अधिकांश मामलों में सहकारी समितियों व प्रभावशाली व्यक्तियों को प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से लाभ पहुँचाकर आम जनता के हितों की उपेक्षा की। सरकार आवास समस्या का हल करने के उद्देश्य से कृषि भूमि के रूपान्तरण की प्रक्रिया का सरलीकरण; राजस्थान आवासन मण्डल की व्यवस्था में सुधार तथा भवन निर्माण हेतु अधिक साधन उपलब्ध कराने सम्बन्धी सभी बिन्दुओं पर विचार करके आवश्यक कार्यवाही करेगी।

20. साक्षरता की दृष्टि से 1951 में देश में राजस्थान का नीचे से दूसरा स्थान था। करोड़ों रुपये खर्च करने के बावजूद आज भी देश में राजस्थान का स्थान नीचे से दूसरा ही है। यह हमारे लिये बड़ी चिन्ता की बात है। यदि यही स्थिति रही तो अगली शताब्दी के मध्य तक भी हम सम्पूर्ण साक्षरता के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पायेंगे। निरक्षरता गरीबी से भी बड़ा अभिशाप है और इसे मिटाने के लिये सरकार पिछले अनुभवों की समीक्षा कर प्रभावी नवाचार प्रारम्भ करेगी। इसी प्रकार महिला शिक्षा व पिछड़े वर्गों की शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जायेगा।

21. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से राजस्थान पिछड़ा हुआ है। बच्चों की अधिक मृत्यु दर, जनजाति क्षेत्रों व रेगिस्तानी क्षेत्रों में तपेदिक का फैलाव, पेयजल जनित नारू व फाइलेरिया रोग, बढ़ता अन्धापन, दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में चिकित्सा सुविधाओं का अभाव, अस्पतालों में गरीब मरीजों की उपेक्षा और अभिजात्य वर्ग क लोगों पर विशेष ध्यान आदि बातें वर्तमान चिकित्सा व्यवस्था की रुग्णता की ओर इंगित करती हैं। इन सब पर विचार करके व्यवस्था में सुधार किया जायेगा।

22. राजस्थान में औद्योगिक विकास एवं खनन विकास की विपुल संभावनाएँ हैं। बिजली की कमी, उद्यमियों की कठिनाइयों का समय पर निराकरण नहीं होने, केन्द्रीय विनियोजन की कमी, आधारभूत सुविधाओं के अभाव व औद्योगीकरण की नीतियों की जड़ता के कारण राजस्थान में समुचित औद्योगिक विकास नहीं हो पाया है। यद्यपि उद्यमियों की सहायता के लिये सरकार ने राजस्थान औद्योगिक एवं विनियोजन निगम, राजस्थान वित्त निगम,

राजस्थान खनिज विकास निगम, राजस्थान लघु उद्योग निगम आदि संगठनों की स्थापना की है, लेकिन समुचित संवेदना के अभाव में ये संस्थायें उद्यमियों की समस्याओं को हल नहीं कर पाई हैं। एक ही स्थान पर उद्यमी को सभी सुविधायें मिलें, इस बात की परिकल्पना बहुत समय पहले से की गई थी लेकिन सामन्ती प्रशासनिक संस्कृति के कारण इसे प्रदेश में मूर्तरूप नहीं दिया जा सका। सरकार वर्तमान व्यवस्थाओं का आंकलन कर इनमें आवश्यक परिवर्तन करेगी। उद्योग लगाने के लिये उद्यमी को विनियोग पर अनुदान देने की योजना को सरकार पुनः लागू करने पर विचार करेगी। अधिक रोजगार देने वाले व प्रदेश में उपलब्ध कच्चे माल पर आधारित उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को अनुदान में विशेष प्राथमिकता दी जायेगी। राजस्थान में उपलब्ध कच्चे माल पर आधारित उद्योग लगाने की सम्भावनाओं पर अध्ययन कराया जाकर समुचित कार्यवाही की जावेगी। राजस्थान की वर्तमान औद्योगिक नीति जनता सरकार ने 1978 में बनाई थी। औद्योगिक विकास की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण कर नई औद्योगिक नीति बनाई जावेगी। इस कार्य में उद्यमियों का भी सहयोग लिया जायेगा। प्रदेश में व्यापक पैमाने पर औद्योगिक इकाइयों में रुग्णता फैली हुई है जिसका हल ढूंढ़ना आवश्यक है। इसमें बैंकों का भी सहयोग लेकर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

23. छोटे उद्योगों, हस्तकला, खादी एवं ग्रामीण उद्योगों का विकास कर उनमें अधिक रोजगार देने के प्रयास किये जायेंगे। हस्तकला उद्योग की दृष्टि से राजस्थान का देश में विशेष स्थान है। हस्तकला उत्पादों के निर्यात की संभावनायें भी काफी हैं। इनसे दस्तकार विशेष रूप से लाभान्वित होते हैं, अतः सरकार द्वारा हस्तकला विकास के लिये एक विशेष कार्यक्रम बनाया जायेगा।

24. अब तक हुए खनन विकास के कार्यों का आंकलन कर अधिक प्रभावी ढंग से खनन विकास किया जायेगा ताकि राजस्थान में उपलब्ध खनिज संसाधनों का राज्य के हित में सही रूप से दोहन हो सके। खनिजों की रायल्टी की वसूली में जो अपवंचन होता है उसको रोकने की कारगर कार्यवाही की जायेगी तथा राज्य के साधनों को बढ़ाया जायेगा। प्रदेश की खनिज सम्पदा पर आधारित उद्योग लगवाने पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

25. राज्य सरकार द्वारा लगाये गये कई उद्योग घाटे में चल रहे हैं, ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठानों के कार्य की समीक्षा कर लाभ में नहीं चल पाने वाले उद्योगों को बन्द करने पर विचार किया जायेगा।

26. गरीबी और बेरोजगारी की समस्या राज्य के सम्मुख प्रमुख चुनौतियों में से एक है। वित्तीय संसाधनों की कमी और तेजी से बढ़ती जनसंख्या के फलस्वरूप बेरोजगारी की समस्या और भी जटिल होती जा रही है। अधिक रोजगार प्रदान करने वाले विकास कार्यक्रमों का सावधानीपूर्वक चयन किया जायेगा। कृषि, पशुपालन, वन विकास, मत्स्य पालन, ग्रामीण

विकास कार्यक्रम, ग्रामीण एवं लघु उद्योग, ग्रामीण सड़कों आदि रोजगारपरक कार्यक्रमों में विनियोजन बढ़ाकर रोजगार के अधिकाधिक अवसर सृजित किये जाने के प्रयत्न किये जायेंगे। रोजगार के विशेष कार्यक्रमों के सुचारु क्रियान्वयन एवं गुणवत्ता सुधार का प्रयत्न किया जायेगा जिससे अधिकाधिक लोगों को लाभ पहुँच सके। सरकार द्वारा किये जा रहे प्रत्येक विकास कार्यक्रम को रोजगार संभावना की दृष्टि से परखा जायेगा।

27. शिक्षित बेरोजगारों की समस्या सबकी चिन्ता का विषय है। इसके समाधान हेतु स्व-रोजगार के अधिक-से-अधिक अवसर जुटाने होंगे। रोजगार चलाने के लिये उन्हें विशेष प्रशिक्षण व आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराई जायेंगी। परम्परागत व्यावसायिक कार्यक्रमों का भी विस्तार किया जायेगा। बेरोजगारों के विभिन्न सुविधायें उपलब्ध करवाकर तथा उसका अधिक-से-अधिक उपयोग सुनिश्चित कर स्व-नियोजन के अवसर उपलब्ध कराये जायेंगे।

28. गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले व्यक्तियों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जातियों के व्यक्तियों को सरकार से सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की अपेक्षा है। प्रदेश में जनता सरकार ने गरीब व्यक्ति को 'गणेश' मानकर उसे अपनी प्रवृत्तियों का केन्द्र बिन्दु बनाया था। गरीब व्यक्ति का सरकार के खजाने पर पहला हक हो, इस दृष्टि से अन्त्योदय योजना वर्ष 1977 में लागू की गई थी। गरीबी उन्मूलन की यह एक नई दिशा थी। सर्वत्र इसकी सराहना हुई थी। भारत सरकार ने इस योजना को वर्ष 1980 से एकीकृत ग्रामीण विकास योजना के नाम से अपना लिया था। सामाजिक चेतना तथा राजनैतिक सम्बल के अभाव में पिछले वर्षों में एकीकृत ग्रामीण विकास योजना में चयन में पक्षपात, ऋण देने में भ्रष्टाचार आदि कई विकृतियाँ आ गई हैं। अब यह कार्यक्रम परिसम्पत्ति देने तक ही सीमित रह गया है। इस कार्यक्रम में चयनित परिवारों को विभिन्न विभागों द्वारा अपनी प्रवृत्तियों से लाभ पहुँचाने की कोई योजनाएँ नहीं हैं। वर्षों की संचित गरीबी एक या दो बार वित्तीय सहायता देकर दूर नहीं की जा सकती, उसके लिए लम्बे समय तक लाभान्वित व्यक्ति पर ध्यान केन्द्रित करना होगा। गरीब की सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं को उसकी अनुभूति से देखना होगा।

29. मेरी सरकार गरीब को विभिन्न सरकारी विभागों की प्रवृत्तियों का केन्द्र बिन्दु बनायेगी। शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, पशुपालन आदि विभागों द्वारा चयनित गरीब परिवारों के लिए अन्त्योदय योजना लागू की जायेगी ताकि विभिन्न दिशाओं से इनकी गरीबी पर प्रहार किया जा सके। सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ी जातियों के विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन करेगी तथा मूल्यांकन के आधार पर उनमें आवश्यक सुधार किये जायेंगे ताकि यह विकास योजनाएँ यथार्थपरक बन सकें और उन्हें विकास कार्यक्रमों का अधिकतम लाभ मिल सके। अनुसूचित जातियों व जनजातियों के उत्पीड़न को सख्ती से रोका जायेगा। जनजाति क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के विरुद्ध छोटे-छोटे मामलों को लेकर हजारों मुकदमे दर्ज किये गये हैं। सरकार ऐसे मामलों की समीक्षा करेगी तथा इसके आधार पर उन्हें

अपेक्षित राहत पहुँचायेगी। महिलाओं की समस्याओं पर पिछले वर्षों में व्यापक सहमति बनी है। महिला शिक्षा व महिला कल्याण के कार्यक्रमों का विस्तार किया जायेगा। महिलाओं को आर्थिक एवं सामाजिक न्याय देने की दृष्टि से आवश्यक कदम उठाये जायेंगे।

30. ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रमों की भारत सरकार समीक्षा की जा रही है। राज्य स्तर पर भी इनकी समीक्षा की जाकर इनमें आवश्यक परिवर्तन करने की चेष्टा की जायेगी। इन कार्यक्रमों में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप लचीलापन आवश्यक है। इन कार्यक्रमों के निर्माण में जनता की भागीदारी होनी चाहिये। इन कामों में खर्च की जाने वाली राशि में 85प्रतिशत तक भ्रष्टाचार होने की बात स्वयं भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने बार-बार कही थी। इसके बावजूद पिछली सरकार ने इसके रोकथाम के कोई उपाय नहीं किये। वर्तमान सरकार इसकी जाँच कर आवश्यक कार्यवाही करेगी ताकि विनियोजन की राशि का सही उपयोग हो सके।

31. सामुदायिक विकास का उद्देश्य समुदाय में स्वावलम्बन की भावना पैदा करना है, लेकिन विभिन्न प्रकार की अनुदान योजनाओं पर आधारित वर्तमान विकास प्रणाली ने विभिन्न क्षेत्रों में याचकों तथा बिचौलियों के बड़े समुदाय को खड़ा कर दिया है। इसी कारण सामाजिक चेतना के अभाव में बिचौलिये गरीबों के नाम पर अपनी स्वार्थसिद्धि में सफल हो जाते हैं। विकास के बारे में सरकार की परिकल्पना सहभागी विकास की है जिसमें प्रशासन एवं लाभान्वित व्यक्तियों की पारस्परिक भागीदारी हो। सरकार समता के आधार पर सहभागी रूप से विकास योजनायें लागू करने का प्रयास करेगी।

32. परिवहन की दृष्टि से भी राजस्थान काफी पिछड़ा हुआ है। छोटे-छोटे गाँवों को सड़कों से जोड़ने के लिये एक मास्टर प्लान बनाया जायेगा। साधनों की कमी से जिन क्षेत्रों में सड़कें नहीं बन पाती हैं वहां पुलियाओं का निर्माण कर यातायात में आनेवाली कठिनाइयों को दूर किया जायेगा।

33. राजस्थान की अपनी सांस्कृतिक विशेषतायें हैं। विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक विविधताओं, गरिमामय इतिहास एवं उत्कृष्ट स्थापत्य कला के कारण यह पर्यटकों का आकर्षण केन्द्र है। पर्यटन के विकास हेतु दीर्घकालीन नीति बनाई जायेगी। इसमें निजी क्षेत्र का भी सहयोग लिया जायेगा।

34. पिछले वर्षों में यद्यपि सभी क्षेत्रों में सहकारी संस्थाओं का गठन किया गया है लेकिन इनका सरकारीकरण होने के फलस्वरूप इनकी प्रवृत्तियों में सदस्यों की प्रभावी भागीदारी नहीं पनप पाई है। सरकार का प्रयास होगा कि इन संस्थाओं के चुनाव समय पर हों। वर्तमान सहकारी अधिनयम के प्रावधानों की समीक्षा कर प्रदेश में सहकारिता आन्दोलन में आई खामियों को दूर करने का प्रयास किया जायेगा। सहकारी संस्थाओं व पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग तथा महिलाओं को विशेष प्रतिनिधित्व दिया जायेगा।

35. वर्षा की कमी के कारण राजस्थान में अकाल प्राय: पड़ते रहते हैं। पिछली सरकारों ने अकाल के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च किये लेकिन अकाल की चुभन को स्थाई रूप से कम करने के प्रभावी प्रयास नहीं हो पाये। सरकार पंचवर्षीय योजना के साथ अकाल राहत की पंचवर्षीय योजना भी बनायेगी ताकि किसी वर्ष अकाल की स्थिति होने की दशा में योजना कार्यों व अकाल राहत कार्यों में सामंजस्य बिठाया जा सके तथा अकाल राहत खर्च व योजना खर्च एक दूसरे के पूरक बन सकें। इससे अकाल राहत व्यय से स्थाई कार्य हो पायेंगे तथा सही ढंग से अकाल राहत का पैसा खर्च हो सकेगा।

36. सरकार इस सत्र में राजस्थान बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, 1990; राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 1990 आपके समक्ष विचार-विमर्श हेतु प्रस्तुत करेगी।

37. माननीय सदस्यगण! प्रदेश की सामाजिक एवं आर्थिक विकास की अनिवार्यता को देखते हुए आवश्यक है कि सभी लोग आपसी सहयोग से प्रदेश के विकास को नई दिशा दें। प्रदेश के विकास में सभी की भागीदारी है। विकास से जुड़े हुए प्रश्न दलगत राजनीति से ऊपर हैं। जनता की आकांक्षा है कि प्रदेश की प्रशासन व्यवस्था संवेदनशील व विकासोन्मुख हो। आप सभी के सहयोग से ही इस प्रकार का प्रशासन दिया जाना संभव है। प्रदेश की जनता आप सभी पर आशा लगाये बैठी है। मुझे विश्वास है कि सरकार व विरोधी पक्ष दोनों ही सदन की कार्यवाही में रचनात्मक दृष्टिकोण से भाग लेंगे और इन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिये प्रयत्नशील होंगे। मिलजुलकर बैठकर विचार-विमर्श करने तथा एक-दूसरे की बात समझने की भावना को ऋग्वेद के मंत्र में इस प्रकार व्यक्त किया गया है :-

"संगच्छध्वं संवदध्वं, सं वो मनासि जानताम्।
देवां भागं यथा पूर्वे सं जानानां उपासते।।"

"हम सब मिलजुल कर बैठें, सार्थक विचार-विमर्श करें और एक ही मनोभाव से एक दूसरे की विचारधारा में सामंजस्य स्थापित करें।" इसी भावना से अनुप्राणित होकर विधायक के रूप में आप सब जन आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य करें, यही मेरी मंगल कामना है।

जय हिन्द।

✪✪✪